

मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता/सरल बनाने हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (03.07.2015 की स्थिति के अनुसार अद्यतित)

प्रश्न 1. मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: भारत में पढ़ने वाले तथा योजना मार्ग -निर्देशों को पूरा करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/बौद्ध/जैन/पारसी के छात्र इन छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

प्रश्न सं. 2. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख क्या है?

उत्तर: **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए:** वर्ष 2015-16 के लिए नई छात्रवृत्तियों के मामले में, छात्र 01.06.2015 से 30.09.2015 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

छात्रवृत्तियों के नवीकरण के मामले में, छात्र 01.06.2015 से 15.11.2015 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए: वर्ष 2015-16 के लिए नई छात्रवृत्तियों के मामले में छात्र 01.06.2015 से 15.09.2015 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

छात्रवृत्तियों के नवीकरण के मामले में, छात्र 01.06.2015 से 10.10.2015 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के लिए: छात्र 01.05.2015 से 31.07.2015 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न सं. 3. मैं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

उत्तर: मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां ऑनलाइन योजनाएं हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृपया यूआरएल www.scholarships.gov.in के माध्यम से वेबसाइट देखें। इस साइट के लिए लिंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न सं. 4. ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?

उत्तर: नई एवं नवीकरण दोनों छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार है:

नई:

चरण1: वेबसाइट www.scholarships.gov.in के होम पेज पर जाएं और आवेदन फार्म प्राप्त करने हेतु Student Login→Register →‘Domicile state’ चुने→‘Fresh’ चुनें।

चरण 2: सिस्टम, आवेदन को पाँच विभिन्न टैब्स में आवेदन भरने का अनुदेश देगा:

(i) व्यक्तिगत विवरण (ii) शैक्षणिक विवरण (iii) योजना का विवरण (iv) बैंक का विवरण (v) संपर्क विवरण। छात्रों को तदनुसार आवेदन प्रस्तुत करना है। व्यक्तिगत विवरण भरने के उपरान्त, छात्र को एक “Temporary ID (TEMPID)” दी जाएगी। शेष टैब्स इस TEMPID तथा जन्म की तारीख का उपयोग करते हुए, अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले कई बार में भरे जा सकते हैं।

चरण 3: प्रस्तुत करने के पश्चात् “Permanent id” तैयार की जाएगी। छात्र को यह PID याद रखनी है जो किसी भी चरण पर प्रस्तुत किए गए आवेदन को खोलने के लिए अपेक्षित होगी।

• **नवीकरण:**

चरण 1: Student Login→Register के विकल्प पर जाएं और ‘Domicile state’ चुनें→‘Renewal’ चुनें।

चरण 2: नवीकरण वाले छात्रों को अपनी बैंक संख्या तथा जन्म की तारीख प्रविष्ट करनी है जो विगत वर्ष (अर्थात् 2014-15 में) www.momascholarship.gov.in पर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की गई थी।

चरण 3: अगली प्रक्रिया नए पंजीकरण के रूप में ही रहेगी।

(नोट: मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के मामले में, सभी आवेदकों को नए मामले के रूप में आवेदन करना होगा)

चरण 4(नए एवं नवीकरण हेतु सामूहिक): ऑनलाइन आवेदन फार्म के पूरा भरने के पश्चात् छात्रों को ऑनलाइन अनुदेशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। मेट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत नए एवं नवीकरण दोनों मामलों के लिए दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के मामले में भी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है, यदि छात्र ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो।

मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट-सह-साधन के अंतर्गत नए एवं नवीकरण दोनों छात्रवृत्तियों के लिए अपलोड करने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दिए अनुसार है:

1. छात्र का फोटो (अनिवार्य)
2. संस्था सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)
3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र-(अनिवार्य)
4. छात्र का घोषणा पत्र (अनिवार्य)
5. धर्म प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)
6. (i) नए मामलों में: प्रपत्र में भरे गए अनुसार पिछली बोर्ड परीक्षा का स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अनिवार्य)
(ii) नवीनीकरण के मामलों में: प्रपत्र में भरे गए अनुसार पिछली परीक्षा की मार्कशीट का स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र। (अनिवार्य) (मेट्रिक-पूर्व हेतु लागू नहीं)

7. 'वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष' की फीस रसीद। (अनिवार्य)
8. छात्र के नाम पर बैंक खाते का प्रमाण। (अनिवार्य)
9. आधार कार्ड (वैकल्पिक)
10. आवास प्रमाण-पत्र (अनिवार्य)

प्रश्न सं.5. बैंक खाते का विवरण भरते समय छात्र को किन-किन अनुदेशों का पालन करना चाहिए?

उत्तर:

- (i) छात्रों को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने बैंक/ शाखा के नाम का ध्यानपूर्वक चयन करना होगा।
- (ii) तत्पश्चात् संपूर्ण खाता सं. सही ढंग से दर्ज की जाने चाहिए। (बैंक खाते के अंकों में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने संबंधित बैंक की शाखा से अपनी खाता संख्या का सत्यापन करायें। अगर छात्रों द्वारा दर्ज किए गए बैंक ब्यौरे गलत पाये जाते हैं, तो छात्रवृत्ति की राशि अंतरित नहीं की जाएगी, चाहे आवेदन छात्रवृत्ति के लिए अनुमोदित किए गए हों।
- (iii) आईएफएस कोड को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए।
- (iv) बैंक खाता धारक को बैंक से अपनी 'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) की स्थिति की जाँच करनी चाहिए और यदि अपेक्षित हो तो छात्रवृत्ति राशि के सफलतापूर्वक लेन-देन हेतु केवाईसी किया जाना चाहिए।
- (v) बैंक खाता चालू/सक्रिय होना चाहिए।
- (vi) बैंक खाता वरीय रूप से कोर बैंकिंग सुविधा वाले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।
- (vii) बैंक खाता केवल छात्र के ही नाम पर होना चाहिए।

प्रश्न सं. 6. क्या मैं पहले से सेव की गई सूचना को एडिट कर सकता हूँ और कब तक?

उत्तर: आपके द्वारा भरी गई सूचना को आप ऑनलाईन आवेदन submit सकते हैं। आप आवेदन एडिट करने के लिए, "Student login" → विकल्प पर जाएं आवेदन Id प्रविष्ट करें और फिर submit 'login' बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न सं. 7. मैं कौन-कौन से फील्डस को एडिट कर सकता हूँ?

उत्तर: आप "Personal Details" टेब में दिए गए ब्यौरों को छोड़कर सभी ब्यौरे एडिट कर सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार "Confirm and Submit" बटन क्लिक करने पर आपका आवेदन अगले स्तर पर अग्रेषित हो जाएगा और आप आगे एडिट नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न सं. 8. आवेदन प्रपत्र के कौन-कौन से फील्ड अनिवार्य हैं?

उत्तर: लाल तारक (*) चिन्ह के साथ दिए गए फील्ड अनिवार्य हैं।

प्रश्न सं. 9. क्या मुझे ऑनलाइन आवेदन एकबारगी में ही भरना है?

उत्तर: नहीं। आप ऑनलाइन आवेदन कई बार में भर सकते हैं जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने सभी वांछनीय फील्ड सही ढंग से भरे हैं। सॉफ्टवेयर में आपके आवेदन को प्रत्येक चरण में सेव करने की सुविधा है जब तक कि आप 'Confirm & Submit' बटन क्लिक नहीं कर देते।

प्रश्न सं.10. यूआईडी संख्या/आधार संख्या क्या है?

उत्तर: 'आधार' संख्या के रूप में जानी जाने वाली यूआईडी संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार संख्या को उस बैंक खाते के साथ जोड़ना चाहिए जिसमें छात्रवृत्ति की राशि को अंतरित करना चाहते हैं। इसके लिए संबंधित बैंक में आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रश्न सं. 11. क्या मुझे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु आधार कार्ड चाहिए?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने वाले छात्रों हेतु आधार संख्या वैकल्पिक है। छात्र आधार संख्या दिए बिना भी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तथापि, इस पर बल दिया जाता है कि छात्र जल्द से जल्द आधार के लिए नामांकन करवा लें।

प्रश्न सं. 12. टैम्परेरी (अस्थायी) आईडी क्या है?

उत्तर: टैम्परेरी आईडी (टीआईडी) आवेदकों को ऑनलाइन डेटाबेस में उनके पंजीकरण के प्रमाण-स्वरूप दी जाने वाली केवल संदर्भ संख्या है।

प्रश्न सं. 13. क्या कोई परमानेंट (स्थायी) आईडी है?

उत्तर: हां। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को एक स्थाई आईडी प्रदान की जाएगी। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को एसएमएस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। छात्रों को अपनी पीआईडी याद रखनी होगी क्योंकि यह नवीकरण हेतु आवेदन करते समय अपेक्षित होगी। पीआईडी की रसीद छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आपने आप में कोई गारंटी नहीं है।

प्रश्न सं. 14. अगर मैं टैम्परेरी आईडी/परमानेंट आईडी भूल जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: टैम्परेरी/परमानेंट आईडी पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया नीचे दिए अनुसार है:

“Student login → Forgot Registration Details?” और फिर तदनुसार बेसिक फील्ड्स भरें और “Get Registration details” बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न सं. 15. अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में संस्थान का नाम नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: आप को तुरंत संस्थान को उस राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क करने को कहना चाहिए जहां यह संस्थान स्थित है। आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए ई-मेल के माध्यम से राज्य के नोडल अधिकारी से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका संस्थान एक पाठ संस्थान है तो, संबंधित राज्य सरकार डेटाबेस में इसकी प्रविष्टि करेगी और फिर आप आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न सं.16. मैं अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करूँ?

उत्तर: आपको अपनी Permanent id तथा Date of Birth दर्ज करते हुए ‘Student Login’ के विकल्प पर Login करना होगा। Login के पश्चात् आपको ‘Check Your Status’ विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प में जाकर आप अपनी ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

प्रश्न सं. 17. मुझे अपने राज्य के नोडल अधिकारी/राज्य विभाग का नाम और पता कैसे मालूम होगा?

उत्तर: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारी/ राज्य विभाग के नाम और संपर्क ब्यौरे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के होमपेज पर Ministry of Minority Affairs के लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।